

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चाण्डिल ।

अनुसूची फार्म सं०-662

(देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

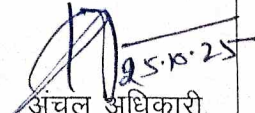
आदेश फलक

जिला- सरायकेला-खरसावाँ
केस का प्रकार- विविध वाद

अनुमण्डल- चाण्डिल

अंचल- चाण्डिल

अभिलेख सं०...१९.../25-26

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
15.10.25	अभिलेख का संधारण बासमति देवी, पति- स्व० राम देव प्रसाद, पता- सोनारी, जमशेदपुर के द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में किया गया है। आवेदिका ने अनुरोध किये हैं कि मौजा- डोबो, थाना सं०- 331, खाता सं०- 63, प्लॉट सं०- 266, रकवा- 1.32 एकड़ भूमि जो निबंधित दलील सं०- 3972, दिनांक-06.12.1982 के द्वारा निबंधन उपरान्त नामांतरण वाद सं०- 261/85-86 के माध्यम से नामांतरित होकर पंजी- II के जिल्द सं०-3, पृष्ठ सं०- 156 में तरुवाला महतानी, पति- स्व० हरिपदो महतो के नाम पर जमाबंदी दर्ज है। जबकि माननीय सिविल न्यायालय, चाण्डिल ने O.S No- 22/2023 में पारित आदेश के द्वारा दलील सं०- 3972, दिनांक- 06.12.1982 को Non Void घोषित कर दिये हैं। जिससे नामांतरण वाद 261/85-86 अमान्य हो चुका है और इस अनुसार तरुवाला महतानी के नाम पर दर्ज जमाबंदी भी अमान्य हो चुकी है। (इस प्रकार आवेदिका ने O.S No- 22/2023 में पारित आदेश के आलोक में दलील सं०- 3972, दिनांक- 06.12.1982 को Non Void घोषित किये जाने के कारण नामांतरण वाद सं०- 261/85-86 के माध्यम से जिल्द सं०-3, पृष्ठ सं०- 156 में तरुवाला महतानी, पति- स्व० हरिपदो महतो के नाम पर दर्ज जमाबंदी से पूर्व रैयत चरण दास बक्सी, पिता- हेम चन्द्र बक्सी के खाते में वापस करने हेतु अनुरोध किये हैं। अतएव उक्त के आलोक में तरुवाला महतानी, पति- स्व० हरिपदो महतो के नाम पर भूमि का दर्ज जमाबंदी से वापस पूर्व रैयत चरण दास बक्सी के खाते में इन्द्राज करने हेतु किसी को किसी प्रकार की आपत्ति हो, तो आम सूचना निर्गत करें एवं तरुवाला महतानी, पति- स्व० हरिपदो महतो के वारिसगण को किसी प्रकार का आपत्ति के संदर्भ में पत्राचार करें। साथ ही संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को अंचल निरीक्षक के माध्यम से विधिवत् जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देश दें। अभिलेख दिनांक 25.12.25 को उपस्थापित करें। लेखापित  अंचल अधिकारी चाण्डिल ।	 अंचल अधिकारी, चाण्डिल ।

03-01-26

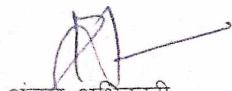
अभिलेख उपस्थापित। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं है। तरुवाला महतानी, पिता- स्व0 हरिपदो महतो का मृत्यु दिनांक-22.01.2014 को हो चुकी है। जिसका सत्यापन विशेष पदाधिकारी-सह-निबंधन(जन्म-मृत्यु), जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र के पत्रांक- 443, दिनांक- 10.11.2025 के द्वारा प्राप्त है। मुखिया, ग्राम पंचायत तामोलिया/ग्राम प्रधान, डोबो के द्वारा निर्गत बंशावली के अनुसार स्व0 तरुवाला महतानी, पति- स्व0 हरिपदो महतो के मृत्यु उपरान्त (1) गौरांगो महतो (2) सुचित्रा महतो (3) सुशीला महतो, सभी के पिता- स्व0 हरिपदो महतो उत्तराधिकारी है। तदनुसार इन सभी के द्वारा भी तरुवाला महतानी, पति- स्व0 हरिपदो महतो के नाम पर मौजा- डोबो, थाना सं0- 331, खाता सं0- 63, प्लॉट सं0- 266, रकवा- 1.32 एकड़ भूमि का जिल्द सं0- 3, पृष्ठ सं0- 156 में दर्ज जमाबंदी से वापस पूर्व रैयत चरण दास बक्सी, पिता- हेम चन्द्र बक्सी के खाते में माननीय सिविल न्यायालय, चाण्डिल के द्वारा O.S No- 22/2023 में पारित आदेश के आलोक में दलील सं0- 3972, दिनांक- 06.12.1982 को Non Void किये जाने के कारण करने हेतु अनापत्ति-सह-सहमति प्रदत्त किए हैं।

राजस्व उप निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मौजा- डोबो, थाना सं0- 331, खाता सं0- 63, प्लॉट सं0- 266, रकवा- 1.32 एकड़, किस्म- दोन तीन, हाल सर्वे वर्ष 1964 खतियान में चरण दास बक्सी, पिता- हेम चन्द्र बक्सी के नाम पर दर्ज है एवं दलील सं0- 3972, दिनांक- 06.12.1982 के अनुसार कय उपरान्त नामांतरण वाद सं0- 261/85-86 के द्वारा नामांतरित होकर पंजी- II के जिल्द सं0- 3, पृष्ठ सं0- 156 में तरुवाला महतानी के नाम पर जमाबंदी दर्ज है। परन्तु माननीय सिविल न्यायालय, चाण्डिल के द्वारा O.S No- 22/2023 बासमति देवी एवं अन्य बनाम गौरांगो महतो एवं अन्य में दिनांक- 06.01.2025 को पारित आदेश के आलोक में तरुवाला महतानी के द्वारा कय की गई भूमि का निबंधित दलील सं0- 3972, दिनांक- 06.12.1982 को Non Void घोषित किये जाने के कारण निबंधित दलील के आधार पर की गई नामांतरण वाद सं0- 261/85-86 भी Non Void हो चुका है और तदनुसार तरुवाला महतानी के नाम पर पंजी- II के जिल्द सं0- 3, पृष्ठ सं0- 156 में जमाबंदी से वापस पूर्व रैयत चरण दास बक्सी, पिता- हेम चन्द्र बक्सी के खाते में करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

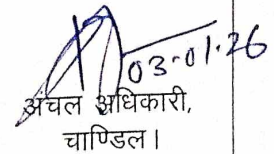
अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन माननीय सिविल न्यायालय, चाण्डिल के न्यायालय के द्वारा O.S No- 22/2023 बासमति देवी एवं अन्य बनाम गौरांगो महतो एवं अन्य में दिनांक- 06.01.2025 को पारित आदेश तथा उपरोक्त तथ्यों के आलोक में पंजी-II के जिल्द सं0- 3, पृष्ठ सं0- 156 में तरुवाला महतानी, पति- हरिपदो महतो के नाम पर मौजा- डोबो, थाना सं0- 331, खाता सं0- 63, प्लॉट सं0- 266, रकवा- 1.32 एकड़ भूमि का दर्ज जमाबंदी से पूर्व रैयत चरण दास बक्सी, पिता- हेम चन्द्र बक्सी के खाते में वापस इन्द्राज करने हेतु आवेदिका का आवेदन स्वीकृत किया जाता है। तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक उक्त आदेश का विधिवत् अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित



अंचल अधिकारी
चाण्डिल।



अंचल अधिकारी,
चाण्डिल।